47

न्यायालय कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा (म0प्र0)

विविध-

क्रमांक 735 /रीडर/कमि0/2016 3497 रीवा, दिनांक 27/6/16

प्रति, 27/6/16

विविध-9105-II-16

रजिस्टर्ड

सचिव राजस्व मण्डल,
मध्यप्रदेश ग्वालियर,

विषयः— अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 272/अपील/88–89 पक्षकार रामकृष्ण खत्री निवासी ढेकहा रीवा म0प्र0 विरूद्ध म0प्र0 शासन में पारित निर्णय दिनांक 29.03.1997 के विरूद्ध पुर्नविलोकन की अनुमति बावत्।

———00———

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम ढेकहा, तहसील हुजूर स्थित आराजी नंबर 184 के भूमि स्वामित्व हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन तत्कालीन तहसीलदार द्वारा दिनांक 30.11.71 को निरस्त किया गया। तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी ने पुनः जांच करने हेतु तहसीलदार को निर्देशित किया गया। तहसीलदार ने अपने जांच प्रतिवेदन दिनांक 22.01.85 में प्रतिवेदित किया गया कि भूमि नम्बर 184 में आवेदक का कब्जा वर्ष 55–56 से है। आवेदक के लिए जागीर उन्मूलन एक्ट लागू नहीं होता, प्रश्नाधीन भूमि का आवेदक गैरहकदार कृषक माना जा सकता है।

तहसीलदार के उक्त प्रतिवेदन पर अनुविभागीय अधिकारी ने यह असहमति व्यक्त की कि चूँकि भूमि नम्बर 184 ग्राम ढेकहा नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत है, वर्ष 55–56 से कब्जा होने मात्र से आवेदक को गैरहकदार की श्रेणी में नहीं माना जा सकता। आवेदक का कब्जा इस भूमि पर किस आधार पर माना जा रहा है, स्पष्ट न होने से आवेदक का आवेदन अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया गया है। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई, जिसका निराकरण तत्कालीन अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 29.03.97 को किया गया।

—2—

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक विविध 9105–दो/2016 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05–12–2016	आवेदक अभिभाषक श्री डी0के0 शुक्ला द्वारा प्रस्तुत शीघ्र सुनवाई के आवेदन पर प्रकरण आज सुनवाई में लिया गया। अनावेदक अभिभाषक श्री अरविन्द पाण्डे उपस्थित। दोनों अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये गये। 2/ प्रकरण का अवलोकन किया। अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा ने प्रकरण कमांक 272/अपील/1988–89 में पारित आदेश दिनांक 29–3–97 को पुनर्विलोकन में लेने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अनावेदक अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क दिया कि यह पुर्नविलोकन की अनुमति का आवेदन अवधि बाधित है तथा रकबे को भी बढ़ा कर लिखा गया है। पुनर्विलोकन का अवोदन इस न्यायालय में 19 वर्ष 3 माह के विलम्ब बाद पेश किया गया जो अवधि बाधित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। जबकि इन्हीं भूमियों के बावत मामला इसी न्यायालय में निराकृत हो चुका है। 3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। अपर आयुक्त द्वारा अपने पूर्वअधिकारी के प्रकरण कमांक 272/अपील/1988–89 में पारित आदेश दिनांक 29–3–97 को पुनर्विलोकन में लेने हेतु इस न्यायालय में लगभग 19 वर्ष 3 माह पश्चात प्रस्तुत किया गया है। संहिता की धारा 51 स्वप्रेरणा से पुनिर्विलोकन की शक्ति युक्तियुक्त समय के भीरत प्रयुक्त की जानी चाहिये, अनेक वर्ष पश्चात प्रयुक्त नहीं की जा सती है। इतनी लंबी अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात धारा 51 का उपयोग का प्रकरण को पुर्नविलोकन में लेना नैसर्गिक एवं प्राकृतिक	

न्याय के सिद्धांत विपरीत है। इस संबंध में 2007 आर एन 269 हेमंत कुमार पाराशर विरूद्ध म0प्र0 राज्य तथा अन्य में मान0 उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :–

''भू–राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.)––धारा 51 पुनर्विलोकन की शक्ति–– 12 वर्ष पश्चात प्रयुक्त नहीं की जा सकती––युक्तियुक्त समय के भीतर प्रयुक्त की जा सकती है–युक्तियुक्त समय क्या है यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है।''

इसी प्रकार 1996 आर एन 137 शिवशंकर मांडिल विरूद्ध म0प्र0 राज्य तथा अन्य में मान0 उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :–

''''भू–राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.)––धारा 181, 182 (2) तथा 51– धारा 181 के अधीन सरकारी पट्टेदार के अधिकार प्रदत्त–स्वप्रेरणा से पुनर्विलोकन द्वारा छीने नहीं जा सकते––ऐसे अधिकार केवल धारा 182(2) के अधीन अनुदान का कोई भंग स्थापित करने पर ही छीने जा सकते हैं।''

उपरोक्त न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में यह पुर्नविलोकन की अनुमति अवधि बाह्य होने से अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा प्रस्तुत विविध आवेदन निरस्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य